**20. प्रोबेट / प्रशासन पत्र की मंजूरी के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 278 के अधीन याचिका**

न्यायालय ............... ...............

प्रोबेट सं. ............... ..................... सन् ............... ...............

अबक ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...................... याची

बनाम

कखग ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... .......प्रत्यर्थी

**सादर प्रदर्शित करता है**

1. यह कि ............... ............... विधवा ............... ............... निवासिनी .............. ............... की मृत्यु तारीख ........ ............... को हो गयी। मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि इसके साथ उपाबद्ध की जाती है।
2. यह कि मृतक ने ऊपर ................ ...............प्रत्यर्थियों की हैसियत से वर्णित अपने पीछे विधिक वारिसों को छोड़ दिया था। ................ ...............मृतक के साथ सम्बन्ध निम्नलिखित रूप में है।
3. प्रत्यर्थी .................. ............... मृतक के मृतक पति का भाई है। प्रत्यर्थीगण .... ............... ............... स्वर्गीय श्री ................... ............... प्रत्यर्थी .................. ............... स्व. ........... ............... की विधवा है और प्रत्यर्थी सं. ................ उस स्व. ................ ...............का पुत्र है जो मृतक का भाई था।

प्रत्यर्थीगण ................. ...............भाई है और प्रत्यर्थीगण ................ मृतक की बहने हैं।

1. यह कि मृतक का भारत में एक नियत स्थान था और भवन सं ............. ................ में उसका साधारण निवास स्थान था।
2. यह कि मृतक .............. ................ याची के पक्ष में इस याचिका के साथ उपाबद्ध की गयी ................... ................ में वर्णित अचल सम्पत्तियाँ भी अनेक बैंकों में जमा अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ (चल एवम् अचल) की वसीयत कर दी थी देखें; तारीख ................. को सम्यक रुपेण रजिस्ट्रीकत की हुई उसकी विल दिनांकित ................. ................ जो उसकी अंतिम विल थी और उसको साक्षियों की उपस्थिति में सम्यक रूपेण निष्पादित किया गया अर्थात् -
3. ................
4. ................
5. यह कि याची कथित विल के आधार पर निर्णीत मामला सं ................ में श्री की न्यायालय से अनेक बैंकों में जमा की गयी संपूर्ण सम्पत्ति की बावत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुकी है।
6. यह कि मृतक .................. .................. में स्थित तथा ............... .................. का स्थित का सुरक्षित सं. .................. में पडे हए अपने भवन का भी वसीयत कर चुका है। इसके समुचित मूल्य के साथ याची को वसीयत की गयी सम्पत्ति का ब्यौरा इस याचिका के साथ उपाबद्ध की गयी ............. .................. में उल्लिखित किया जाता। उसका संपूर्ण मूल्य. ... ...... .................. है। न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन ................ .................. के अनुसार शपथपत्र उपाबद्ध किया जाता है।
7. यह कि याची .................. .................. सम्पत्ति की बाबत तथा मात्र सुरक्षा सं. .................. में पड़े हुए ............... के बारे में प्रोबेट / प्रशासन पत्र की मंजूरी के लिए पहले से ही आवेदन किया था। प्रस्तुत याचिका में किसी भी प्रकार से याची ने याची को वसीयत की गयी ................. में स्थित दो सम्पत्तियों को भी सम्मिलित किया है। पूर्व याचिका जिला न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रोबेट सं. ................ जिला न्यायाधीश की न्यायालय . ......................... द्वारा नियत की गयी और सुरक्षित सं. .............. उसके द्वारा खोली गयी तथा कथित सुरक्षा में पड़ी हुई ................ की तालिका उसके द्वारा तैयार की गयी और जेवरात की बाबत मूल्यांकन रिपोर्ट .............. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त की गयी; देखें उसकी रिपोर्ट दिनांकित ................. और उसका निर्धारण कथित मूल्यांकनकर्ता ................. द्वारा रुपये पर किया गया। कथित याचिका जिला न्यायाधीश .............. की न्यायालय से याची द्वारा वापस ले ली गयी क्योंकि जिला न्यायाधीश की न्यायालय के पास याचिका का विनिश्चय करने कोई अधिकारिता नहीं थी क्योंकि ................ .................. की अधिकारिता के बाहर स्थित सम्पत्तियों का मूल्य .................. रुपये से अधिक है यह कि सुरक्षित सं ................ में पड़ी हुई .................. का मूल्य ............... है और याची को जिला न्यायाधीश .................. द्वारा नियुक्त किये गये स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट के पश्चात् मात्र इसके मूल्यांकन के बारे में जानकारी हुई। अतएव प्रस्तुत याचिका आदरणीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी।
8. यह कि याचिका कथित बिल में एकमात्र वसीयतदार है।
9. यह कि याची के पक्ष में प्रोबेट / प्रशासन पत्र की मंजूरी के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 या किसी अन्य उपबंध के अधीन कोई अवरोध नहीं है।

प्रार्थना

अतएव, यह प्रार्थना की जाती है कि मृतक ............... .................. द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित किये गये प्रोबेट/प्रशासन पत्र याची के पक्ष में मंजूर किया जाय कोई अन्य अनुतोष जो आदरणीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त एवम् उचित समझता है, याची को भी मंजूर किया जा सकता है।

स्थान याची जरिये अधिवक्ता

दिनांक

सत्यापन

में ................... ................... याची सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि ऊपर याचिका की अन्तर्वस्तुएं मेरी जानकारी में सत्य एवम् सही है।

याची